



2026:AHC:124733

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या

- 5422 वर्ष 2026

चेतना देवी और एक अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, मनीष प्रजापति

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. सिंह की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. वर्तमान आवेदन प्रकरण अपराध संख्या 117 वर्ष 2025, धारा 108, 115(2), 351(2), 352 भारतीय न्याय संहिता के तहत, थाना जाफरगंज, जिला फतेहपुर में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता निर्दोष हैं और उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्राथमिकी चार दिन की देरी से दर्ज की गई और मृतक की मृत्यु नौ दिन की देरी से हुई। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं और अन्य सह-आरोपियों पर सामान्य आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने मृतक पर हमला किया और इसी कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली, जबकि रिकू ने उसे बचाया। हालांकि,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अस्पताल में इलाज के दौरान मृतक की मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 108 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कोई प्रकरण नहीं बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और विवेचना में सहयोग करेंगे तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है और उन्होंने यह प्रस्तुत किया है कि आवेदकों और सह-आरोपियों ने मृतक पर ससुराल में हमला किया और उसे अपमानित महसूस हुआ जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली लेकिन रिंकू ने उसे बचा लिया लेकिन इलाज के दौरान मृतक की मृत्यु हो गई।

5. प्राथमिकी के अनुसार, आवेदकों और सह-आरोपियों के खिलाफ लगाए गए सामान्य आरोप और प्राथमिकी चार दिन बाद दर्ज की गई थी और मृतक की मृत्यु नौ दिन बाद हुई थी।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694**, के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. वर्तमान प्रकरण में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदकों की भूमिका और प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का प्रकरण बनता है।

8. अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपर्युक्त प्रकरण में अपराध के लिए अभियोक्ताओं चेतना देवी और चुंकी की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी जाए;
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- (iii) आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
- (iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदकों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

1 जून, 2026

इम्तियाज

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)